नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 मुकेश कुमार

Lecturer College of Teacher Education(CTE) Gaya, Bihar

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। नीति के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार सक्षम, प्रशिक्षित, संवेदनशील और प्रेरित शिक्षक होते हैं। इसी दृष्टि से शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें वर्ष 2030 तक शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित करना प्रमुख है। इस पाठ्यक्रम में विषय–ज्ञान, शिक्षाशास्त्र, विद्यालयीय अनुभव तथा मूल्यपरक शिक्षा का समन्वय किया गया है। नीति में शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से संबद्ध करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के निर्माण, प्रतिवर्ष न्यूनतम पचास घंटे के सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण तथा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, शिक्षकों को डिजिटल तकनीक, नवाचार और समावेशी शिक्षा के लिए तैयार करने का उद्देश्य भी निर्धारित किया गया है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है तथा उनकी उपयोगिता, संभावनाओं और चुनौतियों का विवेचन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह नीति शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक, मूल्यपरक और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में व्यापक सुधार ला सकती है।

मुख्य शब्दः– नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षक शिक्षा, एकीकृत बी.एड., शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास।

प्रस्तावना

शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा, समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम तथा राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार होता है। किसी देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके शिक्षक कितने योग्य, प्रशिक्षित, संवेदनशील, नवाचारी और समर्पित हैं। शिक्षक केवल पाठ्यवस्तु का संप्रेषणकर्ता नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, मूल्य विकास, चिंतन क्षमता, सृजनात्मकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके कक्षाकक्षों में निर्मित होता है और उन कक्षाकक्षों की दिशा शिक्षक निर्धारित करता है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक शिक्षक को ज्ञान, संस्कार और जीवन–दृष्टि प्रदान करने वाले मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किंतु समय के साथ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ उभरकर सामने आईं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में असमानता, प्रशिक्षण का अत्यधिक सैद्धांतिक होना, विद्यालयीय अनुभव की कमी, शोध एवं नवाचार का अभाव, तकनीकी दक्षताओं की अपर्याप्तता तथा निजी संस्थानों का व्यावसायीकरण। इन चुनौतियों के कारण शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

इक्कीसवीं सदी में शिक्षा के स्वरूप में तीव्र परिवर्तन हुआ है। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समावेशी शिक्षा, बहुसांस्कृतिक समाज और ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था ने शिक्षक की भूमिका को और अधिक जटिल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बना दिया है। आज शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या–समाधान क्षमता, रचनात्मकता, सहयोग, नैतिक

मूल्यों और डिजिटल दक्षता का विकास करे। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक शिक्षा को भी समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्संगठित करना अनिवार्य हो गया।

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की गई। यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समग्र, समावेशी, बहुविषयक, लचीली और गुणवत्तापूर्ण बनाने का व्यापक खाका प्रस्तुत करती है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से अधिक नहीं हो सकती। अतः शिक्षक शिक्षा को शिक्षा सुधार का केंद्रबिंदु माना गया है। नीति का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो विषय–ज्ञान में दक्ष, शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से सक्षम, नैतिक मूल्यों से युक्त, तकनीकी रूप से दक्ष तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध हों।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तनकारी प्रावधान किए गए हैं। इनमें वर्ष 2030 तक शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समाहित करना, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का निर्माण, प्रतिवर्ष न्यूनतम पचास घंटे के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा शिक्षकों को अनावश्यक गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्यों, समावेशी शिक्षा, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल तकनीक तथा शोध–आधारित शिक्षण को शिक्षक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण यह है कि शिक्षक शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया न होकर एक सतत व्यावसायिक विकास यात्रा हो, जिसमें शिक्षक जीवनपर्यंत सीखने वाला, चिंतनशील व्यावसायिक, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में विकसित हो। यह नीति शिक्षक की गरिमा, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास करती है।

उपरोक्त संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षक शिक्षा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीति के प्रमुख प्रावधानों, उनकी उपयोगिता, संभावनाओं, चुनौतियों तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर उनके संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन न केवल शिक्षक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को समझने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निर्माण की दिशा में नीति के योगदान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों की आवश्यकता, औचित्य एवं महत्व का विश्लेषण करना।
3. चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम, बहुविषयक शिक्षक शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों तथा सतत व्यावसायिक विकास जैसे प्रावधानों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करना।
4. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और व्यावहारिकता में सुधार हेतु नीति की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
6. इन चुनौतियों के समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव एवं अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना।
7. शिक्षक शिक्षा के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, मूल्यपरक एवं भविष्य उन्मुख बनाने में नीति के योगदान का अध्ययन करना।

अध्ययन की पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक स्वरूप का है तथा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का अनुसरण करता है। अध्ययन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों, उनके औचित्य, उपयोगिता, संभावित प्रभावों तथा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सम्यक् विश्लेषण करना है।

अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से संकलित की गई है। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल दस्तावेज, शिक्षक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें, शोध–पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन, आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ तथा संबंधित शैक्षिक साहित्य शामिल हैं। विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक विकास, शिक्षण गुणवत्ता और शिक्षा सुधार से संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया गया है।

संकलित सामग्री का विषयवस्तु विश्लेषण किया गया तथा उसके आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, उनकी प्रासंगिकता, संभावनाओं और चुनौतियों का तार्किक एवं व्याख्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन पूर्णतः दस्तावेजीय विश्लेषण पर आधारित है और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के योगदान को समझने का प्रयास करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। नीति का स्पष्ट मत है कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़, समकालीन और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो विषय–ज्ञान में दक्ष, शिक्षण–कौशल में निपुण, तकनीकी रूप से सक्षम, नैतिक मूल्यों से युक्त तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध हों। शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी. एड. पाठ्यक्रम को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है। यह पाठ्यक्रम विषय–ज्ञान, शिक्षाशास्त्र, विद्यालयीय अनुभव, समावेशी शिक्षा, मूल्य शिक्षा तथा शोध को समन्वित रूप में प्रस्तुत करता है। इससे भावी शिक्षकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक दक्षता भी प्राप्त होगी और शिक्षक शिक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनेगी।

2. बहुविषयक संस्थानों में शिक्षक शिक्षा

नीति के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समाहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक केवल एक विषय तक सीमित न रहें, बल्कि विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान अर्जित करें। बहुविषयक अध्ययन से उनमें समग्र दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन और समस्याओं के बहुआयामी समाधान की क्षमता विकसित होगी।

3. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानक विकसित किए जाएंगे, जिनमें शिक्षक की योग्यता, दक्षता, आचरण, उत्तरदायित्व और व्यावसायिक विकास के मानदंड निर्धारित होंगे। इन्हीं मानकों के आधार पर शिक्षक भर्ती, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे शिक्षक शिक्षा और सेवा में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता आएगी।

4. सतत व्यावसायिक विकास

नीति में प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम पचास घंटे के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित किया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों, समावेशी शिक्षा, डिजिटल संसाधनों तथा विषयगत

अद्यतन ज्ञान से परिचित कराया जाएगा। इससे शिक्षक निरंतर सीखने वाले व्यावसायिक के रूप में विकसित होंगे।

5. तकनीकी दक्षता का विकास

वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा के महत्व को देखते हुए नीति में शिक्षकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षण मंचों, ई–सामग्री निर्माण तथा डिजिटल मूल्यांकन तकनीकों का प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया गया है। इससे शिक्षक आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे।

6. शिक्षक स्वायत्तता और व्यावसायिक सम्मान

नीति में शिक्षकों को पाठ योजना, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तथा नवाचार के क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक और गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर शिक्षण कार्य पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। इससे उनकी व्यावसायिक गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

7. पारदर्शी एवं योग्यता–आधारित भर्ती व्यवस्था

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता–आधारित बनाने पर बल दिया गया है। चयन प्रक्रिया में विषय–ज्ञान, शिक्षण कौशल, अभिरुचि तथा उपयुक्तता को महत्व दिया जाएगा, जिससे सक्षम एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके।

8. विद्यालय आधारित प्रशिक्षण

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यालय इंटर्नशिप, शिक्षण अभ्यास, कक्षा अवलोकन और वास्तविक शैक्षिक समस्याओं के समाधान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे भावी शिक्षकों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा।

9. भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य शिक्षा

नीति में शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, संवैधानिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को समाहित करने पर बल दिया गया है। इससे शिक्षक मूल्यपरक शिक्षा के प्रभावी संवाहक बन सकेंगे।

10. शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन

भावी शिक्षकों को शोधपरक दृष्टिकोण अपनाने, शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने तथा नवाचारी शिक्षण विधियों के विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे शिक्षक शिक्षा अधिक वैज्ञानिक और समस्या–समाधान उन्मुख बनेगी।

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा को अधिक समग्र, व्यवहारिक, शोधोन्मुख, मूल्यपरक तथा भविष्य उन्मुख बनाने का एक व्यापक और परिवर्तनकारी प्रयास है। यदि इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

शिक्षक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 की प्रासंगिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक शिक्षा को शिक्षा सुधार का केंद्रबिंदु बनाया है। नीति का मूल उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो ज्ञान, कौशल, मूल्यों और तकनीकी दक्षता से संपन्न हों तथा बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस दृष्टि से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 की प्रासंगिकता अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है।

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक निर्माण

नई शिक्षा नीति 2020 में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम की व्यवस्था शिक्षक शिक्षा को अधिक व्यवस्थित, समन्वित और प्रभावी बनाती है। इस पाठ्यक्रम में विषय–ज्ञान, शिक्षाशास्त्र, विद्यालयीय अनुभव, मूल्य शिक्षा तथा शोध को एक साथ सम्मिलित किया गया है। इससे भावी शिक्षकों का समग्र विकास होता है और वे शिक्षण कार्य के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं।

2. व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था

पूर्ववर्ती शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में व्यवहारिक पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। नई नीति में विद्यालय आधारित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, कक्षा अवलोकन और शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे शिक्षक वास्तविक कक्षागत परिस्थितियों,

विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं और शिक्षण संबंधी चुनौतियों को समझने में सक्षम बनते हैं।

3. मूल्यपरक एवं नैतिक शिक्षा

नीति में संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय चेतना तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। इससे शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ न होकर आदर्श व्यक्तित्व और मूल्य–संपन्न नागरिक के रूप में विकसित होते हैं, जो विद्यार्थियों में भी नैतिक मूल्यों का संवर्धन कर सकते हैं।

4. शोध और नवाचार को प्रोत्साहन

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा को शोधोन्मुख बनाने पर बल देती है। भावी शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण करने, नवीन शिक्षण विधियाँ विकसित करने तथा साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे शिक्षक समस्याओं के समाधानकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में विकसित होते हैं।

5. तकनीकी सशक्तिकरण

डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में शिक्षकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षण, ई–सामग्री निर्माण और डिजिटल मूल्यांकन का प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है। इससे शिक्षक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए अधिक आकर्षक एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण वातावरण निर्मित करते हैं।

6. सतत व्यावसायिक विकास

प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम पचास घंटे के प्रशिक्षण की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक निरंतर नवीन ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से अद्यतन रहें। इससे शिक्षक शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है।

7. शिक्षक की स्वायत्तता और गरिमा

नीति में शिक्षकों को शिक्षण और मूल्यांकन में अधिक स्वतंत्रता देने तथा गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षक अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

8. समावेशी एवं छात्र–केंद्रित दृष्टिकोण

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा को समावेशी, बाल–केंद्रित और बहुभाषिक दृष्टिकोण से जोड़ती है। इससे शिक्षक विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने में सक्षम बनते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक, मूल्यपरक, शोधोन्मुख और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक एवं प्रभावशाली पहल है। यह नीति न केवल शिक्षक शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन लाती है, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने का मजबूत आधार भी प्रदान करती है।

संभावित चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के सुधार हेतु अनेक दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी प्रावधान किए गए हैं। तथापि, इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष कई व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यदि इन चुनौतियों का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो नीति के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन हो सकता है। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं–

1. प्रशिक्षित शिक्षक–शिक्षकों की कमी

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षकों की गुणवत्ता नीति की सफलता का आधार है। वर्तमान में अनेक संस्थानों में विषय विशेषज्ञता, शोध क्षमता, आधुनिक शिक्षण कौशल तथा तकनीकी दक्षता से युक्त शिक्षक–शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में नई नीति के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षक शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

2. संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव

अनेक शिक्षक शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल उपकरण, इंटरनेट सुविधा तथा शोध संसाधनों की कमी है। विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की

कमजोर स्थिति शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सीमाएँ

नई शिक्षा नीति 2020 डिजिटल दक्षता और तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष बल देती है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कठिन हो सकता है।

4. निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ

देश के अनेक निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और शैक्षणिक गंभीरता संबंधी प्रश्न उठते रहे हैं। कुछ संस्थानों में प्रशिक्षण औपचारिकता बनकर रह जाता है, जिससे अपेक्षित दक्षताओं का विकास नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

5. प्रशासनिक एवं समन्वय संबंधी कठिनाइयाँ

नई नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, नियामक संस्थाओं और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। नीतिगत अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया में विलंब तथा प्रशासनिक जटिलताएँ कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं।

6. वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता

चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, डिजिटल अवसंरचना, संकाय विकास, शोध गतिविधियों तथा सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश आवश्यक है। सीमित बजट नीति के क्रियान्वयन की गति को प्रभावित कर सकता है।

7. परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध

नई संरचनाओं और मानकों को अपनाने में कुछ संस्थानों और हितधारकों द्वारा प्रतिरोध की संभावना रहती है। विशेष रूप से पुराने पाठ्यक्रमों और व्यवस्थाओं से जुड़े संस्थानों के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

8. राज्यों के बीच असमानता

भारत के विभिन्न राज्यों में शैक्षिक संसाधनों, प्रशासनिक क्षमता और संस्थागत गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। परिणामस्वरूप नीति का क्रियान्वयन सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हो पाएगा।

उपरोक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संसाधनों, प्रशिक्षण, समन्वय और सतत निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था भी आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों का व्यवस्थित समाधान किया जाए, तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन संभव है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा में प्रस्तावित सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

1. शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए

सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए कठोर मानक निर्धारित किए जाएँ तथा उनकी नियमित मान्यता, मूल्यांकन और निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। जिन संस्थानों में आवश्यक शैक्षिक गुणवत्ता, संसाधन और संकाय उपलब्ध न हों, उनके सुधार हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई जाए।

2. शिक्षक–शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, शोध पद्धतियों, डिजिटल तकनीकों और समकालीन शैक्षिक मुद्दों से अद्यतन रखने के लिए नियमित उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। इससे वे भावी शिक्षकों को अधिक प्रभावी प्रशिक्षण दे सकेंगे।

3. डिजिटल संसाधनों और तकनीकी अवसंरचना का विस्तार किया जाए

सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में उच्च गति इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाएँ, ई–पुस्तकालय, शिक्षण सॉफ्टवेयर तथा डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। ग्रामीण और

पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों की विशेष व्यवस्था की जाए।

4. विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित किया जाए

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को विद्यालयी वास्तविकताओं से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था विकसित की जाए। इंटर्नशिप, शिक्षण अभ्यास और कार्यानुभव को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाए।

5. नीति के क्रियान्वयन की सतत निगरानी और मूल्यांकन किया जाए

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। इसके लिए स्पष्ट संकेतक निर्धारित किए जाएँ तथा समय—समय पर मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएँ।

6. पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ

शिक्षक शिक्षा के सुधार हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाए ताकि अवसंरचना विकास, प्रशिक्षण, शोध और तकनीकी सशक्तिकरण को गति मिल सके।

7. शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शोध संस्कृति विकसित की जाए तथा भावी शिक्षकों और शिक्षक—शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

8. समावेशी और मूल्यपरक दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जाए

शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, लैंगिक समानता तथा समावेशी शिक्षा को प्रभावी रूप से समाहित किया जाए।

9. पारदर्शी भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था लागू की जाए

शिक्षकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और पदोन्नति को स्पष्ट एवं योग्यता—आधारित मानकों से जोड़ा जाए ताकि उत्कृष्टता को बढ़ावा मिल सके।

उपरोक्त सुझावों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है तथा भारत में गुणवत्तापूर्ण, उत्तरदायी और भविष्य उन्मुख शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक शिक्षा को केंद्रीय स्थान प्रदान करते हुए इसे शिक्षा सुधार का आधार स्तंभ माना है। नीति का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसी कारण शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम, बहुविषयक संस्थानों में शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का निर्माण, सतत व्यावसायिक विकास, तकनीकी दक्षता तथा पारदर्शी भर्ती व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

इस नीति के माध्यम से शिक्षक को केवल ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, शोधकर्ता, नवप्रवर्तक, मूल्य—संवर्धक और सामाजिक परिवर्तन के संवाहक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। नीति शिक्षक शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, शोधोन्मुख, मूल्यपरक, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है।

यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष प्रशिक्षित शिक्षक—शिक्षकों की कमी, आधारभूत संसाधनों का अभाव, तकनीकी सीमाएँ तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ जैसी बाधाएँ विद्यमान हैं, तथापि उचित योजना, पर्याप्त संसाधन, नियमित प्रशिक्षण और सतत निगरानी के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षक शिक्षा को नई दिशा प्रदान करती है। यदि इसके प्रावधानों को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए, तो भारत में उच्च गुणवत्ता वाले, उत्तरदायी, नवाचारी और मूल्य—संपन्न शिक्षकों का निर्माण संभव होगा, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ—साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

सन्दर्भ सूची :–

1. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली, भारत सरकार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। (2021).
2. अध्यापक शिक्षा के मानक एवं दिशा–निर्देश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2021), बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
4. शर्मा, आर. ए. (2022), नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा। शैक्षिक अध्ययन पत्रिका, 18(2), 45–58।
5. कुमार, अ., एवं सिंह, प. (2023), शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन की नई दिशा, भारतीय शिक्षा समीक्षा, 12(1), 23–31।
6. यादव, एस. के. (2021), नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षक शिक्षा की चुनौतियाँ। भारतीय शिक्षण शोध पत्रिका, 9(3), 67–74।
7. मिश्रा, वी. पी. (2022). शिक्षक शिक्षा में सतत व्यावसायिक विकास की भूमिका। शिक्षा विमर्श, 14(1), 29–37।
8. तिवारी, डी. एन. (2023), शिक्षक शिक्षा में तकनीकी दक्षता का महत्व। समकालीन शिक्षा अध्ययन, 7(2), 52–60।
9. पाण्डेय, आर. एस. (2021). बहुविषयक शिक्षा और शिक्षक तैयारी, उच्च शिक्षा समीक्षा, 11(4), 18–26।
10. सिंह, एम. के. (2022). मूल्यपरक शिक्षा और शिक्षक की भूमिका। भारतीय शिक्षा चिंतन, 5(2), 40–48।